Vishv UMIYA Foundation | VUF INSTITUTE CIVIL SERVICES

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 23-08-25

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 23 Aug, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 2 : Indian Polity**	ग्रेट निकोबार परियोजना के लिए आदिवासियों के वन अधिकारों का समाधान नहीं: परिषद
Page 03 **Syllabus : GS 2 : International Relations**	'लिपुलेख के रास्ते भारत-चीन व्यापार अस्वीकार्य'
Page 06 **Syllabus : GS 2 : International Relations**	एक सार्थक यात्रा: भारत और चीन गलवान झड़पों की यादों को पीछे छोड़ने को तैयार दिख रहे हैं
Page 06 **Syllabus : GS 2 : Social Justice**	शोध को निशाना बनाना: शोध संस्थानों पर हमले भारत की घटती शैक्षणिक स्वतंत्रता को दर्शाते हैं
Page 12 **Syllabus : GS 2 : International Relations**	तिआनजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले चीन ने क्षेत्रीय एकजुटता का आह्वान किया
Page 06 : Editorial Analysis **Syllabus : GS 3 : Science and technology**	अदालतों में एआई के इस्तेमाल के लिए सुरक्षा उपाय

Page 03 : GS 2 : Indian Polity

₹72,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना—जिसमें एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, हवाई अड्डा, बिजली संयंत्र और टाउनशिप की परिकल्पना की गई है—को रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालाँकि, निकोबारी जनजातीय परिषद द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 को दरकिनार किया गया और वन परिवर्तन के लिए उनकी सहमति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, इसने विवाद को जन्म दे दिया है। इससे पारिस्थितिक रूप से नाजुक और रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जनजातीय अधिकारों, पर्यावरणीय न्याय और विकास प्रशासन पर सवाल उठते हैं।

Forest rights of tribals not settled for Great Nicobar project: council

Tribal representatives' body complains to Minister; says Andaman and Nicobar administration gave a 'false' report to Centre stating that tribespeople's rights under FRA were settled with regard to diversion of forest land for the ₹72,000-cr. project

Abhinav Lakshman
NEW DELHI

The Andaman and Nicobar Islands administration made a false representation to the Centre claiming that rights of the tribal people under the Forest Rights Act, 2006, had been "identified and settled", which eventually led to forest clearances being granted for the ₹72,000-crore mega infrastructure project on the Great Nicobar Islands, a council representing the Nicobarese has said in a complaint to Union Minister of Tribal Affairs Jual Oram.

The proposed Great Nicobar Island Project will include a transshipment port, an airport, a power plant, and a township.

Local tribespeople had raised several concerns, including the diversion of nearly 13,075 hectares of forest land for the project and its impact on vulnerable groups in the area.

Soon after taking charge in 2024, Mr. Oram told *The Hindu* that his Ministry would look into the issues raised by them.

Earlier this year, he said their concerns are "being examined", without going into the details.

The proposed project on the islands will include a transshipment port, an airport, a power plant, and a township. ISTOCKPHOTO

Certificate issued

"In the last two months, we have found that the administration in A&NI issued a certificate in 2022 saying the FRA rights were identified and settled, and that the consent for diversion of forest land was taken only after this," a member of the Tribal Council of Little Nicobar and Great Nicobar told *The Hindu* on Friday.

The council is the key representative body of the Nicobarese on the islands, and has been interacting with the administration on various issues.

The council, in a letter to Mr. Oram dated July 21, clarified that it had not given its consent for the project. "We write to you to inform that the process of settlement of forest rights under the FRA has not even been initiated. Therefore, there is no question of forest rights being settled." The council said it had recently been made aware of an August 2022 "certificate", issued by the Deputy Commissioner of Nicobar District that claimed the opposite.

According to this forest diversion certificate under the FRA issued on August 18, 2022, a copy of which was seen by *The Hindu*, the administration said: "The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire protected forest area of 121.87 sq. km. and deemed forest of 8.8 sq. km. falling under the project."

However, as reported by *The Hindu* earlier, the Union Territory administration has told the Ministry in its monthly reports that it need not implement the FRA on the islands as the forests there are already protected under the Protection of Aboriginal Tribes Act of 1956 (PAT56).

While the PAT56 gives the administrator of the islands full authority to divert forest land, the FRA allows such diversion only after rights are first settled and then consent is taken from the Gram Sabhas concerned. It was not clear if the diversion of forest land for the project was made under the FRA or PAT56.

The Centre has maintained that due process was followed for getting clearances. A Gram Sabha meeting held on August 12, 2022, had consented to the diversion of forest land, it said. However, the council says the Nicobarese of Great Nicobar were not part of the meeting.

'Exploring options'

A council member who spoke to *The Hindu* on condition of anonymity said, "We are waiting for the Minister to reply. If it does not come, we will see what other options are available to us." The member said the council's complaint was marked delivered by the post office on July 30, adding that it had also sent an email to Mr. Oram's office but was yet to get a response.

समाचार में प्रमुख मुद्दे

1. झूठी रिपोर्टिंग का आरोप

- अंडमान और निकोबार प्रशासन ने दावा किया कि FRA के तहत जनजातीय अधिकारों की पहचान कर ली गई है और उनका निपटारा कर दिया गया है।

- एक प्रमाण पत्र (अगस्त 2022) में 13,075 हेक्टेयर वन भूमि के परिवर्तन के लिए ग्राम सभा की सहमति का सुझाव दिया गया था।
- जनजातीय परिषद का दावा है कि अधिकारों का ऐसा कोई निपटारा या सहमति प्रक्रिया नहीं की गई थी।

2. कानूनी ढाँचों का टकराव

- वन अधिकार अधिनियम, 2006: वनवासियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है; वन भूमि के हस्तांतरण से पहले अधिकारों के पूर्व निर्धारण और ग्राम सभा की सहमति आवश्यक है।
- आदिवासी जनजाति संरक्षण अधिनियम, 1956 (PAT56): प्रशासक को आदिवासी क्षेत्रों में भूमि उपयोग को विनियमित करने का अधिकार देता है।
- प्रशासन ने कथित तौर पर तर्क दिया कि FRA लागू होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि PAT56 पहले से ही निकोबार के जंगलों की रक्षा करता है।

3. स्थानीय जनजातियों की चिंताएँ

- वन भूमि के बड़े पैमाने पर हस्तांतरण से पारंपरिक आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है।
- कमजोर आदिवासी समूहों को विस्थापन, सांस्कृतिक क्षरण और आजीविका की असुरक्षा का खतरा है।
- ग्राम सभा की बैठकों से निकोबारी प्रतिनिधियों को कथित रूप से बाहर रखने से स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC) पर सवाल उठते हैं।

4. केंद्र का रुख

- यह मानता है कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया और कानूनी रूप से मंज़ूरी प्राप्त की गई।
- 12 अगस्त, 2022 की ग्राम सभा की मंज़ूरी का हवाला देता है।
- फिर भी, जनजातीय परिषद इस पर विवाद करती है, और शासन की अस्पष्टता को उजागर करती है।

व्यापक निहितार्थ

1. जनजातीय अधिकार बनाम विकासात्मक अनिवार्यताएँ

- यह मामला बड़े पैमाने की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और स्वदेशी अधिकारों के बीच तनाव का उदाहरण है।
- वन अधिकार अधिनियम की अनदेखी संवैधानिक सुरक्षा उपायों (अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 46) को कमज़ोर करती है।

2. पर्यावरणीय स्थिरता

- 13,000+ हेक्टेयर घने उष्णकटिबंधीय वनों के विच्छेदन से जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति का खतरा है।
- जलवायु लचीलापन, प्रजातियों के संरक्षण और आपदा भेद्यता पर प्रभाव।

3. सामरिक महत्व बनाम सामाजिक न्याय

- यह परियोजना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री उपस्थिति को मज़बूत करती है।
- हालाँकि, लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने से स्वदेशी समुदाय अलग-थलग पड़ सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक शासन और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा हो सकती हैं।

4. कानूनी और प्रशासनिक जवाबदेही

- एक प्रशासनिक दुविधा पर प्रकाश डालता है: क्या औपनिवेशिक काल के कानूनों के तहत प्रशासनिक विवेकाधिकार, वन अधिकार अधिनियम के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर हावी हो सकता है?
- पर्यावरण और जनजातीय शासन में संघीय निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में बड़े सवाल उठाता है।

आगे की राह

- उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करें: वन अधिकार अधिनियम का अनुपालन—अधिकारों का निपटान और ग्राम सभा की वास्तविक सहमति—वन परिवर्तन से पहले होनी चाहिए।
- कानूनी ढाँचों में सामंजस्य स्थापित करें: प्रशासनिक अतिक्रमण को रोकने के लिए PAT56 और वन अधिकार अधिनियम के बीच परस्पर क्रिया को स्पष्ट करें।
- समावेशी विकास: निर्णय लेने में जनजातीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए FPIC सिद्धांतों को अपनाएँ।
- स्वतंत्र समीक्षा: एक संसदीय या न्यायिक निगरानी तंत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय और जनजातीय सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है।
- संतुलित दृष्टिकोण: रणनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को जनजातीय अधिकारों और पर्यावरणीय न्याय की संवैधानिक गारंटी पर हावी नहीं होना चाहिए।

निष्कर्ष

- ग्रेट निकोबार परियोजना एक विशिष्ट विकास दुविधा का प्रतिनिधित्व करती है—राष्ट्र निर्माण बनाम स्वदेशी अधिकार और पारिस्थितिक स्थिरता। भारत, एक संवैधानिक लोकतंत्र, के लिए विकास की वैधता केवल आर्थिक परिणामों में ही नहीं, बल्कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और कमज़ोर समुदायों के साथ न्याय में भी निहित है। वन अधिकार अधिनियम को कायम रखना और निकोबारी आदिवासियों के साथ सार्थक रूप से जुड़ना भारत की लोकतांत्रिक साख और दीर्घकालिक रणनीतिक हितों, दोनों को मज़बूत करेगा।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना भारत की विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं और स्वदेशी समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बीच तनाव को उजागर करती है। वन अधिकार अधिनियम**, 2006** के तहत जनजातीय अधिकारों और रणनीतिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के बीच संतुलन बनाने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। **(250 Words)**

Page 03 : GS 2 : International Relations

उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने के भारत-चीन के हालिया फैसले पर नेपाल की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। यह दर्रा कालापानी-लिपुलेख-लिंपियाधुरा त्रि-जंक्शन क्षेत्र में स्थित है, जो लंबे समय से भारत और नेपाल के बीच विवाद का विषय रहा है। काठमांडू ने इस कदम को "अप्रत्याशित और अस्वीकार्य" करार दिया है, साथ ही कहा है कि वह इस मुद्दे को नई दिल्ली के साथ अपनी बातचीत को पटरी से नहीं उतरने देगा। यह क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के बीच नेपाल की विदेश नीति में नाज़ुक संतुलन को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

- लिपुलेख दर्रा: भारत को तिब्बत (चीन) से जोड़ने वाला एक रणनीतिक हिमालयी दर्रा, जिसका उपयोग सीमा व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है।
- क्षेत्रीय विवाद: कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेख क्षेत्र पर भारत और नेपाल दोनों अपना दावा करते हैं:
  - o भारत का रुख: कालापानी क्षेत्र को पिथौरागढ़ जिले (उत्तराखंड) का हिस्सा मानता है, जिसकी सीमा नेपाल के साथ 1816 की सुगौली संधि से जुड़ी है।
  - o नेपाल का रुख: लिंपियाधुरा को काली नदी का उद्गम स्थल बताता है, जिससे यह विवादित क्षेत्र नेपाल के क्षेत्र में आ जाता है। 2020 में, नेपाल ने अपने राजनीतिक मानचित्र में संशोधन करके कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को भी इसमें शामिल कर लिया।

वर्तमान घटनाक्रम में प्रमुख मुद्दे

1. नेपाल के बिना भारत-चीन संबंध

- o चीनी विदेश मंत्री वांग यी की दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और चीन ने लिपुलेख के रास्ते सीमा व्यापार फिर से शुरू करने का फैसला किया।
- o नेपाल इसे अपनी संप्रभुता के हनन के रूप में देखता है, क्योंकि प्रत्यक्ष हितधारक होने के बावजूद उससे परामर्श नहीं किया गया।

2. नेपाल की चिंताएँ

- o नेपाल को छोड़कर द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय व्यवस्था किए जाने पर लिपुलेख पर भारत के दावे को वैध ठहराए जाने का डर।
- o संप्रभुता, राष्ट्रीय गौरव और घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलता के मुद्दे उठाता है।
- o नेपाल में विपक्षी दल अक्सर इस मुद्दे का इस्तेमाल राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने के लिए करते हैं।

'India-China trade through Lipulekh unacceptable'

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

A decision by India and China to restart border trade through the Lipulekh Pass in Uttarakhand has come under fire in Nepal, as it lies in the contested Kalapani-Lipulekh-Limpiyadhura region, which is claimed by Nepal.

This development is "unexpected and unacceptable" to Nepal, but Kathmandu will not let it disrupt dialogue with India, said a leading member of Nepali Prime Minister K.P. Sharma Oli's party, the Communist Party of Nepal-Unified Marxist Leninist.

India and China took the decision on border trade during the August 18 and 19 visit of Chinese Foreign Minister Wang Yi to Delhi, at a time when South Block had also extended an invitation to the Nepali Prime Minister to visit India. "This kind of an agreement between India and China is unexpected and unacceptable to us," said Pradeep Gyawali, CPN-UML deputy general secretary.

3. भारत का रुख

- o लिपुलेख को चीन के साथ एक द्विपक्षीय मुद्दा (व्यापार/पारगमन) मानता है, जो उसके क्षेत्रीय दावों के अनुरूप है।
- o नेपाल के दावे को राजनीति से प्रेरित और ऐतिहासिक रूप से सुलझा हुआ मानता है।

4. चीन की भूमिका

- o लिपुलेख पर भारत के साथ द्विपक्षीय रूप से जुड़ने की इच्छा रणनीतिक व्यावहारिकता का संकेत देती है।
- o लेकिन विवादित दर्रे के माध्यम से व्यापार की स्वीकृति चीन-नेपाल संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है, जहाँ बीजिंग पारंपरिक रूप से सद्भावना रखता है।

व्यापक निहितार्थ

1. भारत-नेपाल संबंधों में तनाव

- o 2020 के सीमा मानचित्र विवाद जैसे बार-बार होने वाले अविश्वास को बढ़ाता है।
- o नेपाल की घरेलू राजनीति में भारत विरोधी बयानबाजी को बढ़ावा दे सकता है।

2. भारत-चीन-नेपाल त्रिकोण

- o नेपाल की भू-राजनीतिक दुविधा को उजागर करता है: संप्रभुता की रक्षा करते हुए भारत और चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों को संतुलित करना।
- o यदि नेपाल की चिंताओं को नज़रअंदाज़ किया जाता है, तो उसके चीन की ओर अधिक झुकाव की संभावना।

3. क्षेत्रीय सुरक्षा और संपर्कता

- o लिपुलेख चीन के संदर्भ में भारत की सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
- o यह विवाद हिमालय में क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं और त्रिपक्षीय सहयोग को जटिल बनाता है।

4. कूटनीतिक संवेदनशीलताएँ

- o भारत को विवादित क्षेत्रों से संबंधित निर्णयों में नेपाल की उपेक्षा करने की धारणा से बचना चाहिए।
- o नेपाल की भागीदारी के बिना भारत के साथ द्विपक्षीय रूप से व्यवहार करने की चीन की इच्छा, क्षेत्रीय संवेदनशीलताओं के प्रति उसके चयनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है।

आगे की राह

- संवाद और विश्वास-निर्माण: भारत और नेपाल को संयुक्त तकनीकी समिति (जिसकी अंतिम बैठक 2019 में हुई थी) के तहत सीमा वार्ता को पुनर्जीवित करना चाहिए।
- संवेदनशीलताओं का सम्मान: भारत विवादित क्षेत्रों से संबंधित निर्णयों पर नेपाल के साथ अधिक परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपना सकता है।
- सामरिक और आर्थिक चिंताओं को अलग करना: लिपुलेख के माध्यम से व्यापार सुगमता को क्षेत्रीय समझौते के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
- क्षेत्रीय स्थिरता: तीनों देशों - भारत, नेपाल और चीन - को हिमालयी स्थिरता के लिए सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता देनी चाहिए।

निष्कर्ष

- लिपुलेख व्यापार मुद्दा संप्रभुता और क्षेत्रीय दावों के संदर्भ में भारत-नेपाल संबंधों की नाज़ुकता को उजागर करता है। भारत के लिए, चीन के साथ रणनीतिक अनिवार्यताओं में संतुलन बनाए रखते हुए नेपाल के साथ विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। नेपाल की संवेदनशीलताओं की अनदेखी करने से उसे चीन के और करीब जाने का खतरा है, जबकि सार्थक बातचीत दक्षिण एशिया में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की भूमिका की पुष्टि कर सकती है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: लिपुलेख दर्रे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत में उत्तराखंड को तिब्बत (चीन) से जोड़ता है।

2. इसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है।

3. कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेख क्षेत्र भारत और चीन के बीच विवादित है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

(A) केवल **1** और **2** **(B)** केवल **2** और **3**

(C) केवल **1** और **3** **(D) 1, 2** और **3**

उत्तर: (A)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत और नेपाल के बीच कालापानी-लिपुलेख-लिंपियाधुरा विवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। लिपुलेख के माध्यम से हाल ही में हुए भारत-चीन व्यापार समझौते भारत-नेपाल संबंधों को कैसे जटिल बनाते हैं? आगे का रास्ता सुझाइए। **(150 Words)**

Page : 06 : GS 2 : International relations

सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता के लिए चीनी विदेश मंत्री वांग यी की दिल्ली यात्रा, जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों पक्षों ने विश्वास-निर्माण उपायों की घोषणा की, जिनमें सीमा व्यापार को फिर से शुरू करना, यात्रा प्रतिबंधों में ढील देना और सीमा समाधान के लिए नई प्रतिबद्धता शामिल है। हालाँकि यह सतर्क आशावाद को दर्शाता है, लेकिन गहरी रणनीतिक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

यात्रा के प्रमुख परिणाम

1. विश्वास-निर्माण उपाय

- o तीन बिंदुओं पर सीमा व्यापार फिर से शुरू होगा।
- o भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होंगी।
- o कैलाश मानसरोवर यात्रा स्लॉट का विस्तार।
- o वीज़ा में ढील।

2. आर्थिक जुड़ाव

- o चीनी निर्यात प्रतिबंधों (उर्वरक, दुर्लभ मृदा, बोरिंग मशीनरी) को हटाने पर बातचीत।
- o चीन ने भारत पर 2020 के बाद चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करने का दबाव डाला।

3. सीमा वार्ता

- o 3,500 किलोमीटर लंबी अनसुलझी सीमा के समाधान में तेज़ी लाने पर सहमति।
- o भारत ने समाधान के लिए 2005 के राजनीतिक मानदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के ढाँचे पर काम करने पर सहमति जताई।
- o एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि लद्दाख में सैनिकों की वापसी के बाद से "सीमाएँ शांत हैं"।

A productive visit

India and China seem ready to put behind the memory of Galwan clashes

Judging by the statements and readouts from both sides, Chinese Foreign Minister Wang Yi's two-day visit to India this week was extremely productive. While Mr. Wang was in Delhi at the invitation of NSA Ajit Doval for the 24th Special Representatives talk on the boundary question, he also met External Affairs Minister S. Jaishankar for bilateral talks and the normalisation process after the four-year military standoff at the Line of Actual Control. Mr. Wang was also received by Prime Minister Narendra Modi who said that he would travel to Tianjin for the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) meeting. Mr. Modi will meet with Chinese President Xi Jinping. In Delhi, India and China agreed to resume border trade at three points, restart direct flights, expand the Kailash Manasarovar yatra slots for pilgrims and relax visas. While there were positive discussions on the lifting of export restrictions by China on fertilizers, rare earth products and boring machinery, it is unclear whether there was headway on China's demand that India lift its scrutiny of Chinese FDI in Indian companies. The two sides agreed to expedite the process of boundary resolution of the 3,500 km India-China border. Significantly, the Modi government agreed to build on the 2005 agreement of Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the India-China Boundary Question. Meanwhile, the Chinese Ambassador Xu Feihong said that China opposes the U.S.'s "bully" move of imposing 50% tariffs on India.

The outcomes indicate that Delhi has decided it can now "move ahead" from the PLA transgressions, Galwan clashes and the standoff. While Mr. Doval said that the "borders have been quiet", the government was made uncomfortably aware that even with a stable border, other long-standing problems will continue to shadow ties. Mr. Wang later left for Kabul to work with Pakistan and the Taliban on a plan to extend the BRI and China-Pakistan Economic Corridor – India is opposed to both – into Afghanistan. He then flew to Islamabad for a strategic dialogue with his Pakistani counterparts. China's diplomatic support to Pakistan after the Pahalgam attacks and during Operation Sindoor did not come up during Mr. Wang's visit, but provide an ominous overhang to ties, as did Ambassador Xu's contention that Pakistan too is a victim of terrorism. While the U.S.'s attack on Indian trade and economy may be spurring New Delhi's efforts, the reset with China must not come from a perceived position of weakness, and the next steps must be taken keeping in focus the strategic challenge.

4. उच्च-स्तरीय राजनीतिक संकेत

- प्रधानमंत्री मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए तियानजिन जाएँगे और शी जिनपिंग से मिलेंगे।
- शीर्ष-स्तरीय संपर्क फिर से शुरू करने की इच्छा जताई।

अंतर्निहित रणनीतिक चिंताएँ

1. अनसुलझे वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) मुद्दे

- सैनिकों की वापसी का मतलब पूर्वी लद्दाख में सैन्य विमुद्रीकरण या तनाव कम करना नहीं है।
- चीन सीमा के पास बुनियादी ढाँचे का निर्माण जारी रखे हुए है।

2. पाकिस्तान के साथ चीन के संबंध

- वांग यी ने दिल्ली के बाद काबुल और इस्लामाबाद का दौरा किया, जहाँ वे सीपीईसी-बीआरआई को अफ़ग़ानिस्तान तक विस्तारित करने पर काम कर रहे थे - एक ऐसा कदम जिसका भारत विरोध करता है।
- पहलगाम हमलों और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को चीन का राजनयिक समर्थन सुरक्षा चिंताओं को पुष्ट करता है।

3. भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा

- पाकिस्तान और तालिबान के साथ चीन का गठबंधन भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा गणना को जटिल बनाता है।
- राजदूत जू की पाकिस्तान को "आतंकवाद का शिकार" बताने वाली टिप्पणी, दिल्ली के साथ बीजिंग के वैचारिक मतभेद को उजागर करती है।

4. अमेरिकी कारक

- चीन ने अमेरिकी व्यापार शुल्क (भारतीय वस्तुओं पर 50%) के खिलाफ भारत को एकजुट करने की कोशिश की।
- भारत को अमेरिका और चीन के बीच महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता में घसीटे जाने का खतरा है।

भारत के लिए व्यापक निहितार्थ

1. द्विपक्षीय आयाम

- यह जुड़ाव भारत द्वारा संप्रभुता के दावों को स्वीकार किए बिना चीन को "प्रबंधित" करने के प्रयास को दर्शाता है।
- आर्थिक संबंधों को बहाल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सुरक्षा चिंताओं पर हावी नहीं हो सकता।

2. सामरिक स्वायत्तता

   o भारत को चीन और अमेरिका के साथ संबंधों में संतुलन बनाना चाहिए, ऐसे गठबंधन से बचना चाहिए जो उसकी सौदेबाजी की स्थिति को कमजोर करता हो।

3. क्षेत्रीय सुरक्षा

   o पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान तक चीन की पहुँच भारत की अपनी हिमालयी सीमाओं को सुरक्षित करने और हिंद-प्रशांत साझेदारी को मज़बूत करने की ज़रूरत को रेखांकित करती है।

4. कूटनीतिक संकेत

   o वांग यी से मुलाकात और एससीओ में भागीदारी पर सहमति जताकर, भारत खुद को एक ज़िम्मेदार देश के रूप में पेश करता है जो विरोधियों से भी जुड़ने को तैयार है।

आगे की राह

- जुड़ाव में दृढ़ता: पूरी तरह से पीछे हटने और तनाव कम करने पर ज़ोर देते हुए सीमा पर बातचीत जारी रखें।
- सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना: चीन के एलएसी पर बढ़ते तनाव को संतुलित करना।
- आर्थिक निर्भरता में विविधता लाना: चीनी निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रति संवेदनशीलता को कम करना।
- रणनीतिक संतुलन: बीजिंग के साथ बातचीत बंद किए बिना क्वाड और हिंद-प्रशांत साझेदारी को मज़बूत करना।
- क्षेत्रीय सतर्कता: अफ़ग़ानिस्तान में सीपीईसी-बीआरआई के विस्तार और उनके सुरक्षा परिणामों पर कड़ी नज़र रखना।

निष्कर्ष

- वांग यी की यात्रा इस बात का संकेत है कि भारत और चीन गलवान से आगे बढ़कर सावधानीपूर्वक सामान्यीकरण की ओर बढ़ने को तैयार हैं। हालाँकि, वास्तविक पुनर्स्थापन के लिए व्यापार और यात्रा से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी—यह सीमा विवादों को सुलझाने, चीन-पाकिस्तान गठजोड़ को संभालने और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने पर निर्भर करता है। भारत को कमज़ोर स्थिति से समझौता किए बिना, दीर्घकालिक सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, जुड़ाव बनाए रखना चाहिए।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: चीनी विदेश मंत्री वांग यी की हालिया दिल्ली यात्रा गलवान झड़पों के बाद भारत-चीन संबंधों को फिर से स्थापित करने के प्रयास का संकेत देती है। आलोचनात्मक रूप से परीक्षण कीजिए कि क्या इस तरह के राजनयिक जुड़ाव द्विपक्षीय संबंधों में दीर्घकालिक स्थिरता ला सकते हैं। **(150 Words)**

Page 06 : GS 2 : Social Justice

लोकनीति-सीएसडीएस के एक शोधकर्ता के खिलाफ हाल ही में दर्ज की गई एफआईआर और आईसीएसएसआर द्वारा विकासशील समाज अध्ययन केंद्र (सीएसडीएस) को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस भारत के शैक्षणिक परिवेश में एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। हालाँकि यह विवाद सोशल मीडिया पर एक गलत पोस्ट से शुरू हुआ, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया भारत में स्वतंत्र शोध और साक्ष्य-आधारित आलोचना के लिए कम होते स्थान को उजागर करती है।

प्रमुख घटनाक्रम

1. ट्रिगरिंग घटना

- लोकनीति के सह-निदेशक संजय कुमार ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची में कटौती के बारे में गलत आंकड़े पोस्ट किए।
- बाद में उन्होंने पोस्ट हटा दिया और खेद व्यक्त किया।
- इसके बावजूद, राज्य और केंद्र सरकारों ने इस मुद्दे को कानूनी और संस्थागत कार्रवाई में बदल दिया।

2. संस्थागत निशाना

- आईसीएसएसआर ने लोकनीति-सीएसडीएस के वित्तपोषण पर सवाल उठाए, जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) जैसे अन्य थिंक टैंकों के खिलाफ की गई कार्रवाई की याद दिलाता है, जिनका एफसीआरए लाइसेंस और कर-मुक्त दर्जा रद्द कर दिया गया था।
- यह प्रशासनिक उत्पीड़न के एक पैटर्न का संकेत देता है।

3. वैश्विक रैंकिंग में गिरावट

- 2024 शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक (वी-डेम इंस्टीट्यूट) में भारत 179 देशों में सबसे निचले 20% में आ गया।

लोकनीति-सीएसडीएस का महत्व

- राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन (एनईएस) आयोजित करता है, जो भारतीय राजनीति पर अनुभवजन्य शोध को आकार देता है।
- व्यापक राजनीतिक डेटा अभिलेखागार बनाए रखता है।

Targeting research

Attacks on research institutions reflect India's declining academic freedoms

Mistakes and misinterpretations must not be confused with cases of malicious misinformation. The filing of FIRs against a researcher associated with Lokniti, a programme of the CSDS, and the Indian Council of Social Science Research (ICSSR)'s show cause notice to the CSDS, represent yet another troubling chapter in the recent erosion of academic freedoms in India. The trigger seems to be a post on X by Lokniti co-director Sanjay Kumar, which had erroneous data about reductions in the electoral roll in some constituencies in Maharashtra. Expressing regret, Mr. Kumar deleted the post. Yet, the BJP governments in Maharashtra and at the Centre have weaponised what is a mistake to launch broader attacks on the institution, despite the post having no connection to the Opposition's allegations about inflated electoral roll numbers during the 2024 Maharashtra Assembly elections. The ICSSR's insinuations about the CSDS-Lokniti's funding arrangements echo the treatment meted out to other premier institutions. The Centre for Policy Research faced tax surveys that resulted in the cancellation of its foreign funding licence and tax-exempt status. This targeting suggests a coordinated effort to silence independent research voices rather than address administrative concerns. Such acts have led to India's ranking falling to the bottom 20% among 179 nations in the 2024 Academic Freedom Index published by the V-Dem Institute.

Institutions such as CSDS-Lokniti serve a vital democratic function by conducting empirical research that helps understand policy implications. Through its National Election Studies and comprehensive data archive, Lokniti has helped transform the study of Indian politics to one based on rigorous, large-scale empirical inquiry. Its survey on the verification documents listed by the ECI during its Special Intensive Revision exercise in Bihar, among voters across five States and one Union Territory, exemplifies this. Rather than acknowledging the finding that the availability of such documents is rather low among a large cohort of voters in India, and places onerous burdens on voters in the event of a country-wise SIR, the ICSSR has characterised this research as an attempt to malign the ECI. How can policy effectiveness be assessed without rigorous empirical investigations such as well-designed and transparent opinion surveys? The current government has also undermined its own statistical apparatus. The delayed Census and suppressed statistical surveys point to discomfort with independent and critical analysis. As India navigates complex development challenges, it desperately needs the kind of critical feedback and evidence-based analysis that institutions such as the CSDS provide. Silencing these voices through administrative harassment and funding restrictions serves neither good governance nor national interest.

- मतदाता सूचियों के सत्यापन दस्तावेजों पर हालिया सर्वेक्षण ने बिहार और अन्य जगहों पर मतदाता बहिष्करण जोखिमों पर प्रकाश डाला।
- शासन और चुनावी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण साक्ष्य-आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

व्यापक चिंताएँ

1. शैक्षणिक स्वतंत्रता बनाम राजनीतिक संवेदनशीलता

o शोध या डेटा प्रस्तुति में गलतियों को जानबूझकर गलत सूचना के बराबर माना जा रहा है।

o यह शोधकर्ताओं को सार्वजनिक चर्चा में शामिल होने से हतोत्साहित करता है।

2. संस्थागत स्वायत्तता का कमजोर होना

o अनुसंधान निकायों के वित्तपोषण और लाइसेंसिंग में सरकारी हस्तक्षेप में वृद्धि।

o आत्म-सेंसरशिप और बौद्धिक अनुरूपता का माहौल बनाता है।

3. डेटा अखंडता का क्षरण

o 2021 की जनगणना में देरी।

o कुछ सरकारी सर्वेक्षणों (जैसे, रोज़गार, उपभोग पर) का दमन।

o आधिकारिक आँकड़ों में विश्वास कम करता है और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को प्रतिबंधित करता है।

4. लोकतांत्रिक निहितार्थ

o लोकतंत्र में नीतिगत फीडबैक लूप के लिए स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान आवश्यक हैं।

o उन्हें चुप कराने से जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी कमज़ोर होती है।

शासन पर निहितार्थ

- आख्यानों को नियंत्रित करके अल्पकालिक राजनीतिक लाभ दीर्घकालिक नीतिगत विफलताओं का कारण बन सकते हैं।
- विश्वसनीय आँकड़ों का अभाव भारत की प्रभावी कल्याणकारी, चुनावी और विकास कार्यक्रमों को डिज़ाइन और कार्यान्वित करने की क्षमता को कमज़ोर करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है, जिससे सहयोग, वित्त पोषण और सॉफ्ट पावर प्रभावित होते हैं।

आगे की राह

1. संस्थागत स्वायत्तता की रक्षा: FRA, UGC विनियमों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी जैसे कानूनों के तहत अनुसंधान संगठनों के लिए सुरक्षा को सुदृढ़ करें।

2. स्वतंत्र निगरानी: प्रशासनिक उत्पीड़न के बजाय विवादों के समाधान हेतु एक स्वतंत्र अनुसंधान नैतिकता और स्वायत्तता आयोग की स्थापना करें।

3. पारदर्शी वित्तपोषण मानदंड: अनुसंधान वित्तपोषण (विदेशी वित्तपोषण सहित) को विनियमित करने के लिए स्पष्ट, गैर-राजनीतिक तंत्र बनाएँ।

4. डेटा पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करें: जनगणना, एनएसएसओ सर्वेक्षण फिर से शुरू करें और आधिकारिक आँकड़ों तक खुली पहुँच सुनिश्चित करें।

5. वाद-विवाद की संस्कृति को बढ़ावा दें: गलतियों को अकादमिक जाँच और सहकर्मी समीक्षा के माध्यम से सुधारा जाना चाहिए, न कि कानूनी धमकी के माध्यम से।

निष्कर्ष

- सीएसडीएस-लोकनीति और इसी तरह के संस्थानों को निशाना बनाना भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता के एक चिंताजनक क्षरण को दर्शाता है, ऐसे समय में जब देश को जटिल शासन चुनौतियों से निपटने के लिए स्वतंत्र, साक्ष्य-आधारित विश्लेषण की तत्काल आवश्यकता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अनुरूपता की नहीं, बल्कि नीतियों पर सवाल उठाने, उनकी आलोचना करने और उन्हें परिष्कृत करने के साहस की आवश्यकता होती है। अनुसंधान को चुप कराने से न केवल शिक्षा जगत, बल्कि भारत का लोकतांत्रिक और विकासात्मक भविष्य भी कमजोर होता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: स्वतंत्र शोध संस्थानों के विरुद्ध हाल की प्रशासनिक और राजनीतिक कार्रवाइयाँ भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता के लिए सिकुड़ते स्थान को दर्शाती हैं। शासन और लोकतंत्र पर इस प्रवृत्ति के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। **(150 Words)**

Page 12 : GS 2 : International Relations

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) यूरेशियाई भू-राजनीति में बढ़ती प्रासंगिकता के साथ एक प्रभावशाली क्षेत्रीय समूह के रूप में उभरा है। तियानजिन शिखर सम्मेलन (31 अगस्त - 1 सितंबर, 2025) से पहले, चीन ने क्षेत्रीय एकजुटता और बहुपक्षवाद का आह्वान किया है, और इसे आधिपत्यवाद और एकतरफावाद के प्रतिकार के रूप में प्रस्तुत किया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन में भारत, रूस, पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के भी शामिल होने की उम्मीद है, जो इसकी बढ़ती वैश्विक प्रतिध्वनि को दर्शाता है।

China calls for regional solidarity ahead of SCO summit in Tianjin

Vighnesh P. Venkitesh
BEIJING

It is important to have regional solidarity amid turbulence in international landscape, China said on Friday as it prepared to host heads of states and international organisations for the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit in Tianjin on August 31 and September 1.

Chinese President Xi Jinping will chair the summit, which is expected to be attended by a host of world leaders, including Prime Minister Narendra Modi, Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, Russian President Vladimir Putin, and UN Secretary-General Antonio Guterres.

Briefing reporters about the summit, China's Assistant Foreign Minister Liu Bin said it will follow new visions to overcome "cultural wars and cold war mentality", while looking into new measures to advance development, maintain security, and promote prosperity. The meeting, hosting more than 20 world leaders, comes against the backdrop of uncertainties in global trade, triggered by the tariffs imposed by U.S. President Donald Trump.

"In today's world, outdated mindsets of hegemonism and power politics still have influence, with certain countries attempting to prioritise their own interests above others, seriously threatening world peace and stability," Mr. Liu said without naming any specific country while emphasising on the need to strengthen regional cooperation.

The SCO aims at stability to foster lasting peace, harmony, and friendship while addressing uncertainties in international environment, Mr. Liu said, adding that the summit will focus on practising multilateralism and safeguarding regional stability.

(The writer is in Beijing at an invitation from the China Public Diplomacy Association)

समाचार के मुख्य अंश

1. चीन की स्थिति

- चीन ने वैश्विक परिदृश्य में "अशांति के बीच एकजुटता" पर ज़ोर दिया।
- इसने विश्व शांति और स्थिरता के लिए खतरों का हवाला देते हुए, अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी संरक्षणवाद और शक्ति राजनीति की आलोचना की।
- इसने "सांस्कृतिक युद्धों" और "शीत युद्ध मानसिकता" से परे नए दृष्टिकोणों की वकालत की।

2. शिखर सम्मेलन का एजेंडा

- क्षेत्रीय विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाना।
- आतंकवाद, उग्रवाद और उभरते खतरों के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा को मज़बूत करना।
- बहुपक्षवाद और क्षेत्रीय स्थिरता को सुदृढ़ करना।

3. वैश्विक चुनौतियों की पृष्ठभूमि

- ट्रम्प के शासनकाल में अमेरिकी शुल्कों के कारण चल रही व्यापार अनिश्चितताएँ।
- बदलते शक्ति समीकरणों के साथ एक अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण।
- मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान में क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ।

4. भारत के हित

- भारत (2017 से) एक पूर्ण सदस्य के रूप में भाग ले रहा है, रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ अपने हितों को संतुलित करते हुए, चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों को सावधानीपूर्वक संभाल रहा है।
- भारत के लिए, एससीओ एक मंच प्रदान करता है:

- ऊर्जा संसाधनों और संपर्क परियोजनाओं तक पहुँच।
- आतंकवाद-रोधी सहयोग में संलग्न होना।
- अपनी एक्ट ईस्ट और कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीतियों के पूरक के रूप में यूरेशियन पहुँच को बढ़ाना।

विश्लेषणात्मक आयाम

- चीन की रणनीति: खुद को बहुपक्षवाद का चैंपियन बताकर, चीन अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला करना और एक क्षेत्रीय स्थिरताकर्ता के रूप में अपनी वैधता स्थापित करना चाहता है। हालाँकि, दक्षिण चीन सागर में उसकी मुखरता और भारत के साथ सीमा विवाद वास्तविक बहुपक्षवाद के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर संदेह पैदा करते हैं।
- एससीओ का महत्व: समूह की ताकत इसकी विविधता (भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, मध्य एशियाई देश) और यूरेशियन स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने में निहित है। फिर भी, यह विविधता मतभेद भी पैदा करती है, जिससे सामूहिक निर्णय लेने में बाधा आती है।

भारत के लिए निहितार्थ:

o अवसर: क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार और आतंकवाद-रोधी अभियानों में नेतृत्व प्रदर्शित करना।

o चुनौती: संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना चीन और पाकिस्तान के साथ मतभेदों को सुलझाना।

निष्कर्ष

- तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन वैश्विक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक उतार-चढ़ाव की पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के चीन के प्रयास को दर्शाता है। एससीओ भारत को क्षेत्रीय जुड़ाव के लिए एक रणनीतिक मंच प्रदान करता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता अंतर-समूह प्रतिद्वंद्विता को प्रबंधित करने और बहुपक्षवाद के सिद्धांतों को क्रियान्वित करने पर निर्भर करती है। भारत के लिए, सक्रिय लेकिन सतर्क भागीदारी सबसे व्यावहारिक दृष्टिकोण है—अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करते हुए ऊर्जा, संपर्क और सुरक्षा के अवसरों का लाभ उठाना।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: यूरेशिया में अपनी पहुँच बढ़ाने में भारत के लिए **SCO** के रणनीतिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। भारत इस समूह के भीतर चीन और पाकिस्तान के साथ अपने हितों में कैसे संतुलन बना सकता है**? (150 Words)**

Page : 06 Editorial Analysis

Set the guardrails for AI use in courtrooms

Leah Verghese
works at DAKSH, Bengaluru

Smita Mutt
works at DAKSH, Bengaluru

Dona Mathew
works at Digital Futures Lab, Goa

In July this year, the Kerala High Court published a set of guidelines for Artificial Intelligence (AI) use by the district judiciary ("Policy Regarding Use of Artificial Intelligence Tools in District Judiciary"). As the first policy in the country directly addressing AI use in judicial processes and setting out strict safeguards, it is timely. AI tools, from document translation to defect identification in filings, are expected to improve speed and efficiency, which are attractive incentives for a court system which has five crore pending cases.

There are issues

But seemingly innocuous tasks such as AI-enabled translations and transcription are not without risks. For example, a Supreme Court of India judge reported the translation of 'leave granted' into *'chhutti sweekaar* (holiday approved') in Hindi. In the case of *Noel Anthony Clarke vs Guardian News & Media Ltd.* (2025) EWHC 550 (KB), an AI-transcription tool repeatedly transcribed the claimant's name, "Noel", as "no". OpenAI's Whisper, an AI-powered speech recognition system, was reported to occasionally make up or "hallucinate" entire phrases and sentences, especially when people spoke with longer pauses between their words.

Search engine bias in AI-enabled legal research could nudge users toward results influenced by user patterns, potentially 'invisibilising' relevant precedents. A study published in the *Journal of Empirical Legal Studies* found that legal Large Language Models (LLM) can make up case laws and cite incorrect sources to substantiate claims.

At a more structural level, AI risks reducing adjudication into rule-based inferences, overlooking the combination of human judgment, specific context, and relevance of precedents that impact judicial decision-making.

Some market tools are currently being used in courts on a non-commercial test basis, such as transcription of oral arguments and witness depositions. Without specified time-frames, success parameters, or framework for access, storage, and use of non-public, sensitive or personal data, such pilots warrant careful consideration. AI tools offered to courts on a test basis risk creating dependencies without clear pathways to sustainable adoption. Moreover, new technological paradigms demand essential infrastructure such as reliable Internet connectivity and hardware.

A quick analysis of publicly available tenders for AI services across courts shows that even if adoption is cautious, courts are not necessarily designing risk management frameworks to address ethical and legal risks. While human checks and balances, such as manual vetting of AI-translated judgements by retired judges, advocates and translators are in place, AI systems learn from available data, with a possibility of error as they encounter new information in new contexts. Scholars note that hallucinations in LLMs are a feature, and not a bug, requiring human oversight and careful adoption in high-risk scenarios.

As courts increasingly integrate AI use in their daily work, the combination of AI's ethical risks and the complexity of the legal system requires effective guardrails to mitigate risks. Since the majority of court procedures remain paper-based, any transition to advance AI deployment must not further debilitate an already imperfect system.

First, there is a need for critical AI literacy among judges, court staff and lawyers. In addition to capacity building to use AI tools, programmes are also required to understand the limitations of the systems deployed. Judicial academies and bar associations, in collaboration with AI governance experts, are well placed to facilitate such capacity building.

Second, guidelines are needed to shape individual use of generative AI for research and judgment writing. If AI is used in the adjudication process, litigants must have a right to be informed. Similarly, litigants and lawyers have a right to know if AI is being used in certain courtrooms. Given the potential for errors arising from AI use, courts should examine whether litigants may be permitted to opt-out of pilots or fully-deployed AI if they have any concerns about safeguards or human oversight.

Third, courts need to adopt standardised procurement guidelines to support the evaluation of a proposed AI system's reliability and suitability for the task at hand. Pre-procurement steps will also help courts diagnose the exact problem and whether AI is the best solution. Procurement frameworks can guide assessment of technical criteria around explainability, data management and risk mitigation.

On the eCourts project

These frameworks will enable decision-makers to monitor vendor compliance and performance, which may be beyond the routine expertise of judges and the registry.

The Vision Document for Phase III of the eCourts Project (e-Committee, Supreme Court of India) acknowledges the need to create technology offices to guide courts in assessing, selecting, and overseeing the implementation of complex digital solutions, including infrastructure and software. Such scaffolding to aid and assist decision-making on AI use and adoption is one way to overcome gaps in technical expertise. Dedicated specialists can give courts clearer guidance in adopting AI tools as part of comprehensive planning.

As courts inch towards AI adoption, it is important not to lose sight of the ultimate purpose of AI in the system – to serve the ends of justice. In this rapidly evolving technological landscape, clear guidelines on the use and the adoption of AI in courts are essential to ensure that the drive for an efficient court system does not eclipse the nuanced reasoning and human decision-making that is at the heart of the adjudicatory process.

As the use of Artificial Intelligence becomes more common in courts, clear frameworks are crucial to guide its safe and responsible use

GS. Paper 03 विज्ञान और प्रौद्योगिकी

UPSC Mains Practice Question: भारत की न्यायिक प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने के अवसरों और जोखिमों पर चर्चा कीजिए। ज़िम्मेदारी से इसकी तैनाती सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। (150 words)

संदर्भ:

दुनिया भर की न्यायिक प्रणालियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का एकीकरण अदालतों की कार्यप्रणाली में बदलाव ला रहा है। भारत में, केरल उच्च न्यायालय हाल ही में जिला न्यायपालिका में एआई के उपयोग के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बना, जो न्यायिक सुधारों में एक मील का पत्थर साबित हुआ। पाँच करोड़ से ज़्यादा लंबित मामलों के साथ, एआई उपकरण अनुवाद, प्रतिलेखन और दोष पहचान में दक्षता की गुंजाइश प्रदान करते हैं। हालाँकि, इनका अनियंत्रित उपयोग नैतिक, कानूनी और संरचनात्मक चुनौतियाँ पेश करता है, जिससे ज़िम्मेदारी से अपनाने के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।

प्रमुख मुद्दे:

1. त्रुटियाँ और भ्रम

- o अनुवाद संबंधी अशुद्धियाँ (जैसे, "छुट्टी स्वीकृत" → "छुट्टी स्वीकार")।
- o एआई-प्रतिलेखन त्रुटियाँ ("नोएल" → "नहीं"), सटीकता को कमज़ोर करती हैं।
- o जनरेटिव एआई भ्रम जो केस कानूनों या उद्धरणों को गढ़ते हैं।

2. पूर्वाग्रह और पारदर्शिता के जोखिम

- o सर्च इंजन पूर्वाग्रह कानूनी शोध को प्रभावित करते हैं।
- o इस बात पर स्पष्टता का अभाव कि क्या एआई का उपयोग करते समय वादियों और वकीलों को सूचित किया जाता है।

3. संरचनात्मक चुनौतियाँ

- o मज़बूत खरीद ढाँचे के बिना निजी विक्रेताओं पर निर्भरता।
- o भंडारण और पहुँच पर उचित दिशानिर्देशों के बिना संवेदनशील डेटा प्रबंधन।
- o सहायक बुनियादी ढाँचे (कनेक्टिविटी, हार्डवेयर) का अभाव।

4. न्यायिक निर्णय लेने के जोखिम

- o यांत्रिक नियम-आधारित अनुमानों तक न्यायनिर्णयन को सीमित करने का जोखिम।
- o मानवीय तर्क, प्रासंगिक व्याख्या और न्यायिक विवेक के लिए खतरा।

अनुशंसित सुरक्षा उपाय

1. एआई साक्षरता और क्षमता निर्माण

- o न्यायाधीशों, वकीलों और कर्मचारियों को एआई उपकरणों का गंभीरता से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना।
- o न्यायिक अकादमियाँ और बार एसोसिएशन एआई विशेषज्ञों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

2. पारदर्शिता और सूचित सहमति

- o वादियों का यह जानने का अधिकार कि क्या न्यायनिर्णयन में एआई का उपयोग किया जा रहा है।
- o एआई-सहायता प्राप्त प्रक्रियाओं से बाहर निकलने की संभावना।

3. मानकीकृत खरीद दिशानिर्देश

- o विश्वसनीयता, व्याख्या और उपयुक्तता के लिए एआई प्रणालियों का मूल्यांकन करने हेतु ढाँचे।
- o खरीद-पूर्व मूल्यांकन यह जाँचने के लिए कि क्या एआई सर्वोत्तम समाधान है।

4. संस्थागत सहायता तंत्र

- o ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के अंतर्गत एआई अपनाने की निगरानी हेतु प्रौद्योगिकी कार्यालय।
- o अनुपालन, विक्रेता जवाबदेही और प्रणाली के प्रदर्शन की निगरानी हेतु समर्पित विशेषज्ञ।

व्यापक महत्व

- दक्षता के लिए: एआई नियमित प्रक्रियाओं में तेजी लाकर लंबित मामलों का समाधान कर सकता है।
- न्याय प्रदान करने के लिए: सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि गति निष्पक्षता को कम न करे।
- लोकतांत्रिक वैधता के लिए: पारदर्शी एआई अपनाने से न्यायपालिका में वादियों का विश्वास मज़बूत होता है।
- दीर्घकालिक स्थिरता के लिए: संतुलित अपनाने से अपरीक्षित तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता को रोका जा सकता है।

निष्कर्ष

- न्यायालयों में एआई आशा और संकट दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। हालाँकि इसका उपयोग दक्षता बढ़ा सकता है, लेकिन खराब सुरक्षा उपायों से न्यायिक विश्वसनीयता और निष्पक्षता को नुकसान पहुँचने का खतरा है। केरल उच्च न्यायालय की पहल एक सकारात्मक कदम का संकेत देती है, लेकिन न्यायपालिका में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय ढाँचा, जो पारदर्शिता, मानवीय निगरानी और नैतिक सुरक्षा उपायों से युक्त हो, आवश्यक है। अंततः, एआई को मानवीय निर्णय में सहायता करने वाला एक उपकरण ही रहना चाहिए, न कि उसका स्थान लेने वाला, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दक्षता कभी भी न्याय के मूल लक्ष्य पर हावी न हो।